भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो

सं. ए-28012/(2)/2017-18/स्था.ए./ नागपुर, दिनांक 19/03/2018

परिपत्र

वार्षिक निष्पादन आकलन रिपोर्ट (एपीएआर) प्रस्तुत करने के संबंध में भारतीय खान ब्यूरो की वेबसाइट ibm.gov.in में अपलोड किए गए इस कार्यालय के दिनांक 15.05.2017 परिपत्र के क्रम में यह सूचित किया जाता है कि वर्ष 2017-18 के लिए एपीएआर की अवधि दिनांक 01.04.2018 से शुरू हो रही है । तदनुसार अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा स्वयं-मूल्यांकन रिपोर्ट दिनांक 15.04.2018 तक संबंधित रिपोर्टिंग अधिकारियों को रिपोर्ट हेतु प्रस्तुत की जानी चाहिए। ऐसे सभी एपीएआर संबंधित रिपोर्टिंग अधिकारी दिनांक 30.06.2018 तक प्रतिवेदित करेंगे और उसके पश्चात संबंधित पुनरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 31.07.2018 तक पुनरीक्षा की जाएगी। पुनरीक्षा की गई एपीएआर दिनांक 01.09.2018 तक प्रतिवेदित अधिकारियों / कर्मचारियों को दिखाई जाएगी और उसके बाद दिनांक 15.05.2017 के परिपत्र में किए गए उल्लेख के अनुसार सभी एपीएआर संबंधित अभिरक्षकों को भेजी जाएगी।

यदि स्वयं-मूल्यांकन रिपोर्ट निर्दिष्ट समय के भीतर, अर्थात दिनांक 15.04.2018 तक प्राप्त नहीं होती है तो संबंधित रिपोर्टिंग अधिकारियों द्वारा प्रतिवेदित किए जाने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों को लिखित रूप में अनुस्मारक देकर उचित समयावधि के भीतर, (जैसे अनुस्मारक जारी होने के एक सप्ताह के भीतर) स्वयं मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहना चाहिए । अनुस्मारक के बावजूद भी यदि अधिकारी / कर्मचारी अपनी स्वयं-मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है तो रिपोर्टिंग अधिकारी आईबीएम वेबसाइट से दूसरा रिक्त एपीएआर फॉर्म प्राप्त करेगा तथा प्रतिवेदित किए जाने वाले अधिकारी / कर्मचारी के कार्य एवं आचरण संबंधी उसके अनुभव के आधार पर स्वप्रेरणा से रिपोर्ट लिखेगा । ऐसा करते समय वे अधिकारी / कर्मचारी की इस विफलता को भी रिपोर्ट में अंकित कर सकते हैं कि संबंधित अधिकारी / कर्मचारी ने निर्धारित समय के भीतर अपनी स्वयं की मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है । संबंधित पुनरीक्षण अधिकारी निर्धारित तिथि, अर्थात दिनांक 31.07.2018 तक एपीएआर की पुनरीक्षा करेगा।

यदि रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा किसी कारणवश दिनांक 30.06.2018 के परे एपीएआर प्रतिवेदित नहीं किए जाते हैं, तो उसे प्रतिवेदित किए जाने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों के एपीएआर में किसी भी टिप्पणी को दर्ज करने के अपने अधिकार से वंचित होना पड़ेगा और उसके पास रखे हुए ऐसे सभी एपीएआर को निर्धारित तिथि, यथा दिनांक 31.07.2018 तक पुनरीक्षा करने हेतु अगले कार्य दिवस पर पुनरीक्षण अधिकारी को सौंपना होगा । यदि पुनरीक्षण अधिकारी निर्धारित तिथि तक एपीएआर की पुनरीक्षा करने में विफल रहता है, तो वह भी दिनांक 31 अगस्त, 2018 से आगे एपीएआर में किसी भी टिप्पणी को दर्ज करने के अधिकार से वंचित हो जाएगा ।

उपरोक्त के मद्देनजर, सभी समूह 'क' और 'ख' अधिकारियों और समूह 'ख' (अराज.) और 'ग' कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे भारतीय खान ब्यूरो की वेबसाइट से रिक्त एपीएआर प्राप्त करें और अपनी स्वयं-मूल्यांकन रिपोर्ट दिनांक 15.04.2018 तक संबंधित पुनरीक्षण अधिकारी को प्रस्तुत करें ।

इस मामले में भारतीय खान ब्यूरो के सभी विभागीय / आंचलिक / क्षेत्रीय / उप-क्षेत्रीय / क्षेत्रीय खनिज प्रसंस्करण प्रयोगशाला / अनुभाग प्रमुखों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीनस्थों के एपीएआर सभी तरह से पूर्ण कर लिए गए हैं तथा एपीएआर के संबंधित अभिरक्षकों को भेजें गए हैं । दिनांक 15.05.2017 के परिपत्र के साथ संलग्न निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार उनके अधीनस्थों के एपीएआर सभी तरह से पूर्ण किए गए हैं तथा संबंधित प्राधिकारियों को भेजें गए हैं, इस आशय का प्रमाण - पत्र भी वे जारी करेंगे ।

वे उन समूह 'क' और 'ख' रिपोर्टिंग अधिकारी और समूह 'क' पुनरीक्षण अधिकारी, यदि कोई हो, जो दिनांक 30.06.2018 या दिनांक 31.08.2018 तक एपीएआर को रिपोर्टिंग करने / पुनरीक्षा करने में विफल रहे हों, के नाम महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो के ध्यान में भी लाएंगे, ताकि ऐसे रिपोर्टिंग अधिकारियों / पुनरीक्षण अधिकारियों से नियत तिथि के भीतर एपीएआर लिखने का सार्वजनिक कर्तव्य न करने के लिए स्पष्टीकरण मांगा जा सके तथा उचित कारण के अभाव को एपीएआर को पूर्ण करने में नाकाम रहने के लिए एक लिखित चेतावनी, ऐसे संबंधित दोषी अधिकारियों के एपीएआर फ़ोल्डरों में रखी जाएगी। इसके अलावा, यदि रिपोर्टिंग अधिकारी / पुनरीक्षण अधिकारी के

पक्ष में यदि कोई दोष पाया गया हो, तो उसे भी ऐसे दोषी अधिकारियों के भविष्य के एपीएआर में भी प्रतिबिंबित किया जाएगा।

इस संदर्भ में, यह भी उल्लेख किया जाता है कि यदि कोई रिपोर्टिंग अधिकारी / पुनरीक्षण अधिकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाता है, तो सभी अधिकारियों / कर्मचारियों, जिनके लिए ऐसा अधिकारी रिपोर्टिंग अधिकारी या पुनरीक्षण अधिकारी हो, अपनी स्वयं की मूल्यांकन रिपोर्ट अधिकारी के सेवानिवृत्ति के पहले दिन प्रस्तुत करेगा । ऐसे सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी एक महीने के भीतर एपीएआर की रिपोर्टिंग / पुनरीक्षा, जैसा भी मामला हो, करेंगे तथा तत्पश्चात अगली आवश्यक कार्रवाई हेतु एपीएआर संबंधित प्राधिकारी को भेजेंगे।

यह महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

भवदीय

संलग्न : यथोपरि ।

(कैप्टन एस.एस. चौधरी)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

प्रति :

(1) भारतीय खान ब्यूरो के सभी विभागीय / आंचलिक / क्षेत्रीय / उप क्षेत्रीय / क्षेत्रीय खनिज प्रसंस्करण प्रयोगशाला / अनुभाग प्रमुखों को इस अनुरोध के साथ कि वे इसे अपने प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के बीच सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु परिचालित करें ।
(2) वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (अराज.) / प्रशासन अधिकारी (राज.), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर ।
(3) महानियंत्रक के निजी सहायक (गोपनीय) भारतीय खान ब्यूरो ।
(4) प्रभारी अधिकारी, टीएमआईएस, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर को इस परिपत्र को भारतीय खान ब्यूरो की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।